रजिस्ट्री सं. डी. (डी.एन.)-127 REGISTERED NO. D. (D.N.) 127

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 497] नई दिल्ली, सोमवार, सितम्बर 18, 1989/भाद्र 27, 1911
No. 497] NEW DELHI, MONDAY, SEPT. 18, 1989/BHADRA 27, 1911

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके

Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

नई दिल्ली, 18 सितम्बर, 1989

अधिसूचना

सं. 238/89-सीमाशुल्क

सा.का.नि. 841(अ).—केन्द्रीय सरकार, सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 25 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने पर कि लोकहित में ऐसा करना आवश्यक है, सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) की पहली अनुसूची के अध्याय

32 के अन्तर्गत आने वाले पालिप्रापलीन में रंगकारी पदार्थ के सांद्रित परिक्षेपण, (पालिप्रापलीन मास्टर ब (जिसे इसमें इसके पश्चात् माल कहा गया है) को जब उसका पालिप्रापलीन बहुफिलामेंट सूत के किसी विनिम द्वारा ऐसे सिफलामेंट सूत के पालिप्रापलीन के विनिर्माण के लिए भारत में आयात किया जाता है, उक्त पह अनुसूची में विनिर्दिष्ट उस पर उद्ग्रहणीय सीमा शुल्क के उतने भाग से, जितना मूल्य के 70 प्रतिशत को से संगणित रकम से अधिक है, निम्नलिखित शर्तों के अधीन रहते हुए, छूट देती है, अर्थात् : —

(1) आयातकर्ता, ऐसी अवधि के भीतर जो सीमा शुल्क सहायक कलक्टर इस निमित्त विनिर्दिष्ट ऐसे केन्द्रीय उत्पाद शुल्क सहायक कलक्टर से जिसकी अधिकारिता में उक्त विनिर्माता का कारख अवस्थित है, इस आशय का एक प्रमाणपत्र प्रस्तुत करेगा कि माल का उपयोग पालिप्रापल बहु-फिलामेंट सूत के विनिर्माण में किया गया है; और

(2) आयातकर्ता ऐसे प्ररूप में और ऐसी धनराशि का जो उक्त सीमा शुल्क सहायक कलक्टर द विनिर्दिष्ट की जाए, ऐसे माल की बाबत जिसके बारे में सीमा शुल्क सहायक कलक्टर के समाध प्रथम रूप में यह साबित नहीं किया जाता है कि उसका पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए उपयोग कि गया है, मांग किए जाने पर, उतनी रकम का संदाय करने के लिए स्वयं को आबद्ध करने वा एक बन्धपत्र निष्पादित करें, जो यदि इसमें अन्तर्विष्ट छूट न होती तो, उक्त माल उद्ग्रहणीय शुल्क और आयात के समय पहले ही संदत्त शुल्क के बीच अन्तर के बराबर है

[फा.सं. 346/110/89-टी आर यू (सीमु
आर. के. महाजन, अवर सं

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

New Delhi, the 18th September, 1989

NOTIFICATION

NO. 238/89—CUSTOMS

G.S.R. 841 (E):—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) section 25 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), the Central Government, beir satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby exempts conce trated dispersions of colouring matter in polypropylene, (Polypropylene Mast Batch), falling within Chapter 32 of the First Schedule to the Customs Tariff Ac 1975 (51 of 1975), (hereinafter referred to as the goods) when imported into Indi by a manufacturer of polypropylene multi-filament yarn for the manufacture polypropylene multi-filament yarn, from so much of that portion of the duty customs leviable thereon which is specified in the said First Schedule as is in exce

of the amount calculated at the rate of 70 per cent advalorem subject to the following conditions, namely:—

(i) the importer shall, within such period as the Assistant Collector of Customs may specify in this behalf, produce a certificate from the Assistant Collector of Central Excise in whose jurisdiction the factory of the said manufacturer is situated to the effect that the goods have been used in the manufacture of polypropylene multi-filament yarn, and

(ii) the importer executes a bond in such form and for such as may be specified by the said Assistant Collector of Customs, binding himself to pay on demand, in respect of the goods as are not proved to the satisfaction of Assistant Collector of Customs to have been used for the aforesaid purpose, an amount equal to the difference between the duty leviable on the goods but for the exemption contained herein and that already paid at the time of importation.

[F.No. 346/110/89—TRU(CUS)]

R.K. MAHAJAN, Under Secy.

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054, 1989